सत्यमेव जयते

संख्या १

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

बुधवार, तिथि १ सितम्बर, १९५४।

Vol. V

No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Wednesday, the 1st September, 1954.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५५।

[मूल्य—६ आना।]

[*Price—Annas 6.*]

अफसर हैं जिनको मकान नहीं है। मैं नहीं जानता था कि वे हमारे इस बिल के इतने बड़े समर्थक हैं। सरकार किसी व्यक्ति का मकान ले सकती है किसी पब्लिक काम के लिए। अगर हाउस की ऐसी राय होगी तो सरकार किसी मकान को ले लेगी और उसका किराया देगी और उसको पब्लिक के काम में लायगी। अगर वे इस सिद्धांत के समर्थक हैं तो अच्छी बात है।

दूसरी बात जो वे यह कहते हैं कि अगर सरकारी नौकर उस मकान को नुकशान पहुंचा देता है या बिगाड़ देता है तो इसके लिए मकान मालिक को कोई अधिकार नहीं है यह गलत बात है। जो कानून है उसके दफा ११ के उप-खंड (२) को देखेंगे तो आप पायेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का मकान सरकारी नौकर बिगाड़ देता है किसी तरह की क्षति पहुंचाता है तो मकान मालिक को हक है कि वह उसका मुआवजा ले सके। मुआवजा से मतलब है दस-पांच रुपया ही नहीं बल्कि मार्केट वैलू। मुआवजा के बारे में अगर सरकार और मकान मालिक के बीच समझौता नहीं हो सका तो डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत का एक आरबीट्रेटर रखा जायगा और डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के विरुद्ध अपील हाई कोर्ट में हो सकेगी। मैं समझता हूं कि इस बिल के सम्बन्ध में सरकार ने बहुत सोच-समझकर आहिस्ता-आहिस्ता कदम बढ़ाया है। और अभी जो हमलोगों का कंस्टीट्यूशन है उसमें प्राइवेट प्रॉपरटी के लिए सैंकटीटी है। इसलिए जब जरूरत होती है तो हम मकान लेते हैं और जितने दिन के लिए जरूरत होती है उतने ही दिन के लिए कानून बनाते हैं। जब हम अपना मकान बना लेंगे तो इस मकान को छोड़ देंगे। इसमें किसी को एतराज नहीं होगा।

श्री रामानन्द तिवारी ने कहा है यह वार टाइम नहीं है जिससे आपको मकान लेने की जरूरत पड़ी है। यह ठीक है कि वार टाइम नहीं है और बन्दूक और तोप की लड़ाई नहीं हो रही है लेकिन इसमें शक नहीं कि हमारे मुल्क में जो गरीबी और जहालत है उसको दूर कर रहे हैं। इसके लिए यह वार जरूर है। अगर इसके लिए हमको मकान की जरूरत है तो हम मकान लेंगे और उसके लिए किराया देंगे। इसलिए यह बिल जरूरी है और मैं समझता हूं कि हाउस इसको मंजूर कर लेगा।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है :

कि बिहार प्रेमिसेज रिक्वीजीशन (टेम्पोरेरी प्रॉविजंस (अमेंडमेंट) बिल, १९५४ स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार इरीगेशन ऐंड ड्रेनेज वर्क्स (वैलिडेटिंग) बिल, १९५४ (१९५४ की वि० सं० ११)।

THE BIHAR IRRIGATION AND DRAINAGE WORKS (VALIDATING) BILL, 1954 (BILL NO. 11 OF 1954).

श्री राम चरित्र सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित

बिहार इरीगेशन ऐंड ड्रेनेज वर्क्स (वैलिडेटिंग) बिल, १९५४ पर विचार हो।

इस पर मुझको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट आप लोगों के सामने है। हम आशा करते हैं कि इस बिल को आप लोग जल्दी ही ग्रहण कर लेंगे।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित बिहार इरीगेशन ऐंड ड्रेनेज वर्क्स (वैलिडेटिंग) बिल, १९५४ पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा-प्रतिवेदित खंड २ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित खंड ३ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

प्रवर समिति द्वारा यथा-प्रतिवेदित खंड १ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ इस विधेयक का अंग बना।

Shri RAMCHARITRA SINGH : Sir, I beg to move :

That for the Preamble of the Bill, the following enacting formula be substituted :—

"Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Fifth Year of the Republic of India as follows :—"

SPEAKER : The question is :

That for the Preamble of the Bill, the following enacting formula be substituted :—

"Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Fifth Year of the Republic of India as follows :—"

The motion was adopted.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

प्रस्तावना सभा द्वारा यथा-संशोधित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

यथा-संशोधित प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

प्रवर समिति द्वारा यथा-प्रतिवेदित नाम इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

श्री रामचरित्र सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

सभा द्वारा यथा-संशोधित विहार पब्लिक इरीगेशन ऐंड ड्रेनेज वर्क्स (वैलिडेटिंग) विल, १९५४ स्वीकृत किया जाय ।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं । यह विल सेलेक्ट कमिटी में गई हुई थी । लेकिन आप देखेंगे कि वहां से भी सर्व-सम्मति से पास होकर नहीं आया ।

श्री गुप्त नाथ सिंह—मैं एक प्वायंट ऑफ आर्डर रेज करना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य प्रवर समिति के सदस्य थे । इसलिए वे तभी बोल सकते हैं जब वे अमेंडमेंट दें ।

अध्यक्ष—उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया है । टेक्स्ट पर विरोध करने के लिए अमेंडमेंट देना होता है । लेकिन प्रस्ताव की स्वीकृति पर बोलने के लिए संशोधन देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामचरित्र सिंह—थर्ड रीडिंग के समय केवल जेनरल औवजरवेशन किया जा सकता है लेकिन नोट ऑफ डिसेंट के बारे में सिर्फ विचार के समय जिक्र कर सकते थे ।

अध्यक्ष—वे जेनरल औवजरवेशन करना चाहते हैं और नियम (११०) के अधि-नियम (४) के मुताबिक इस समय कोई संशोधन नहीं पेश किया जा सकता है ।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—तीन बुनियादी बातें हैं । जिस प्रस्तावना के साथ यह वैलिडेटिंग बिल आया हुआ है यदि उसे आप ऐक्ट की प्रस्तावना से तुलना करें तो मालूम होगा कि दोनों में विरोध है । दूसरा एतराज यह है कि इरेंगुलैरिटीज को हम चाहते हैं कि रफा किया जाय वे इस बिल के जरिए रफा नहीं हो रहे हैं, और तीसरा एतराज यह है कि कुछ फौरमैलिटि ओरिजनल ऐक्ट के मुताबिक करना चाहते थे वह यह कि अगर किसी को एतराज हो तो उसे एतराज करने का मौका मिले, लेकिन जो लोग इस ऐक्ट से अफेक्टेड हुए थे उनको तो सरकार ने मौका नहीं दिया और मौका नहीं मिलने वाला है । इसलिए यह वैलिडेटिंग बिल जनता को सहूलियत नहीं देती है बल्कि मौजूदा सहूलियत को वापस लेती है । यही तीन विरोध हमारा है ।

पहले विरोध के सम्बन्ध में मैं आपके सामने १९४७ वाले कानून के रेलिवेंट सेक्शन को पढ़ देना चाहता हूं जिसे सरकार मौजूदा बिल के द्वारा मरम्मत करना चाहती है। इसमें लिखा है :—

"Where as it is expedient to provide for the construction, improvement and maintenance by the Provincial Government of irrigation, drainage and other works intended to improve condition of land."

वैलिडेटिंग बिल के स्टेटमेंट्स ऑफ औबजेक्ट्स एँड रिजन्स में लिखा है :—

"During the period from January, 1950 to December, 1952, which was a period of acute scarcity, some irrigation schemes were taken up under the Bihar Public Irrigation and Drainage Works Act, 1947, in different parts of the State, without observing certain formalities owing to urgency of the matter.

Some of these schemes were taken up with a two-fold objective, viz., for rendering immediate relief....and for affording immediate irrigational facilities."

तो मेरा कहना यह है कि इस ऐक्ट को जो आप बनाने जा रहे हैं उससे यह नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी अमेंडमेंट के द्वारा एक वैलिडेटिंग ऐक्ट बनाकर आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो वह बिल्कुल इल्लिगल है।

दूसरी बात यह है कि सेक्शन ३ जो औपरेटिव सेक्शन है उसमें कहा गया है :—

"Any public irrigation work or drainage work the execution of which was directed by the State Government during the period from January, 1950 to December, 1952, shall, notwithstanding the failure to comply with any of the provisions of sections 3 and 4, sub-section (1) of section 5 and section 5A of the Bihar Public Irrigation and Drainage Works Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act), be deemed to be a sanctioned work within the meaning of the said Act and the provisions of the said Act except sections 3 and 4, sub-section (1) of section 5 and section 5A shall apply to such work."

वैलिडेटिंग ऐक्ट से यह होगा कि यह समझा जा सकता है कि सेक्शन ३, ४, ५ के मुताबिक काम अगर नहीं हुआ है तो और सेक्शन लगा करेंगे। अब सेक्शन ६ को जरा देखा जाय।

अध्यक्ष—सेक्शन ६ से तो मतलब नहीं है।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—लेकिन कहा जाता है कि सेक्शन ३, ४, ५ और ५(ए) के मुताबिक अगर काम नहीं हुआ है और बाकी सेक्शन के मुताबिक अगर फॉरमैलिटीज हुई है तो सेक्शन ६ अप्लाई करता है।

Shri RAMCHARITRA SINGH : It is only sub-section (1) of section 5 and not the whole section which has been mentioned. Other sub-sections remain.

श्री यमुना प्रसाद सिंह—सेक्शन ५(ए) भी है। उसमें आप क्या कहते हैं :—

Notwithstanding anything contained in sections 3, 4 and 5 the State Government may in cases of urgency at any time after the publication of notification direct that the proposed work shall be executed with such modifications if any and the State Government may specify the conditions, etc., etc.

अब सेक्शन ६ में क्या है वह देखिए :—

The detailed plan and estimate prepared under sub-section (3) of section 5 shall be accompanied by such documents as may be prescribed and shall contain the following particulars, namely, so-and-so.

अध्यक्ष—सेक्शन ५ के सब-सेक्शन (३) के मुताबिक आर्डर है।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—लेकिन वह आर्डर तभी वैलिड हो सकता है जब ऊपर वाली बातें हुई हों।

अध्यक्ष—इसीलिए तो वह इन्वैलिड है।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—इन्वलिड ही नहीं इल्लिगल है।

अध्यक्ष—उसी इन्वैलिडिटी को हटाने के लिए तो यह बिल लाया गया है। जैसा हमने समझा है आप यह कहना चाहते हैं कि स वैलिडेटिंग बिल को लाने पर भी ठीक तरह से उस प्रोसिज्योर को वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। तो आप तो अपोजीशन में हैं। आपने जो वाजिब सलाह समझा दिया वह नहीं मानते तो उससे क्या ?

श्री यमुना प्रसाद सिंह—इसीलिए मैं अपनी आवाज को इसके खिलाफ बुलंद करता हूं और चाहता हूं कि उसको रेकर्ड किया जाय।

तीसरी बात यह है जो सबसे बड़ी बात है, और इसको इस सदन के बहुत से सदस्यों ने बहुत तरीकों से सदन के सामने रखा है कि वहां पर फेमिन कंडीशन था और अब उनसे ऐसी हालत के रहते हुए भी रुपया वसूल करने के लिये इस बिल को यहां पर लाया गया है।

अध्यक्ष—जितने रुपये खर्च हुए थे उसका बहुत हिस्सा तो वसूल हो गया है।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—अभी भी २८ लाख रुपये बाकी हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर फेमिन कंडीशन था और वहां के लोग फेमिस्ड पिपुल थे तो ऐसी हालत में इस रुपये को वहां के लोगों से कैसे वसूल किया जायगा।

अध्यक्ष—सरकार की मंशा है कि इस ऐक्ट को पास करके उनसे रुपया वसूल किया जाय।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—यही तो मैं कह रहा हूं कि वहां पर फेमिन कंडीशन था और उनकी इस हालत को सुधारने के लिये सरकार की ओर से कुछ काम हुए थे और अब फेमिस्ड पिपुल से कैसे वसूल किया जा सकता है। यही मेरा इतराज है और इसके बारे में इस सदन के बहुत से सदस्य दूसरी-दूसरी जबान में कह चुके हैं जिनको मैं फिर से यहां पर दुहराना नहीं चाहता हूं।

अध्यक्ष—तब तो आपके कहने का यही मतलब है कि सरकार अपनी आथरिटी से इसको वाइप आउट कर दे।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—जी, मेरे कहने की मंशा यही है कि इसे उनसे वसूल नहीं किया जाय। इसके अलावे अपने नोट ऑफ डिसेन्ट में मैंने बहुत-सी चीजों का जिक्र किया था उसके बारे में मैं यहां पर अब नहीं कहना चाहता हूं लेकिन एक चीज है जिसके बारे में मैं कुछ कह देना यहां पर जरूरी समझता हूं। इसमें इतराज करने के लिये कई स्टेजेज हैं और वेनिफिशियरीज को हक है कि उस स्टेज में अपना इतराज दाखिल करे। रजिस्टर तैयार करने के वक्त भी इतराज किया जा सकता है और उसके बाद वेनिफिशियरीज की सूची छप जायेगी। अगर किसी को इसकी खबर नहीं हुई और इतराज नहीं किया तो वह योंही रह जायगा। लेकिन हमको यह कहना है कि इस काम के चलते किसी भी वेनिफिशियरी को कोई लाभ नहीं हुआ है बल्कि इससे उनको नुकसान ही हुआ है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उनसे इसका रुपया वसूल नहीं किया जाय। यही मेरा फंडामेन्टल इतराज है जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और चाहता हूं कि सदन इस पर विचार कर इस बिल को पास नहीं करे।

श्री राम नारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, हमारे सिंचाई मंत्री ने जो बिहार पब्लिक इरीगेशन एन्ड ड्रेनेज वर्क्स (वैलिडेटिंग) बिल, १९५४ को सदन के सामने उपस्थित किया है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसका कारण यह है कि जिस आधारशिला पर इस बिल को बनाया गया है वह आधारशिला ही उत्तर बिहार की बाढ़ में दह-बह गयी है और ऐसी हालत में अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं रह गयी है। जरा इस बिल के इस चीज पर गौर कीजिए कि :

"…. may be validated by a Validating Act, so that there may not be any legal difficulty in realising the cost from the beneficiaries."

और इस पर गौर करने से यह मालूम होता है कि वेनिफिशियरीज से आज कौस्ट रियलाइज करने में नेचुरल और प्रैक्टिकल डिफिकलटीज खड़ी हो गयी है। जिस तरह से काम हुआ वह सब को मालूम है। इनके ही डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट लोगों की राय तक नहीं ली गयी और गलत तरीके से काम हुआ और अब अपनी गलती का मार्जन इस सदन के द्वारा करवाना चाहते हैं। जिस समय यह काम हुआ और जिस समय इस बिल को लाया गया है उसके लिये अंग्रेजी में एक कहावत है और वह यह है कि :

"Much water has flown down the Ganges. But in this case it is not "down the Ganges" but the whole of north Bihar rivers".

और आज जिनके लिये इस काम को किया गया है वे इस बाढ़ में समाप्त हो गये हैं और वे इस लायक नहीं हैं कि इस स्लिपशौड, हाफाजार्ड और अनसांइन्टिफिक तरीके से चलाये गये स्कीमों के लिये वे आपको कौस्ट दे सकें।

अध्यक्ष—आपके कहने का यह मतलब है कि काम अनसाइन्टिफिक तरीके से हुआ और इससे किसी को फायदा नहीं हुआ है?

श्री राम नारायण चौधरी—जी हां। जो काम हुआ, वह ठीक तरीके से नहीं हुआ और उससे किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे मिनिस्टर साहब के डिपार्टमेंट ने इस काम को करने में कुछ फौरमैलिटीज को ऑबजर्व नहीं किया और उसके दूर करने के लिये इस बिल को लाया गया है लेकिन मेरे कहने का यह मतलब है कि इससे बेनिफिशियरीज को नफा के बदले में नुकसान हुआ है और मैं चाहता हूं कि जो रुपया वसूल नहीं हो सका है उसको छोड़ दिया जाय।

अध्यक्ष—अगर आप इस बिल को नहीं पास कीजियेगा तो जिन लोगों से वसूल किया गया है वे सरकार से अपना रुपया मुकदमा दायर करके वसूल कर लेंगे।

श्री राम नारायण चौधरी—इस बिल के कुछ फौरमैलिटीज को जो जरूरी था और जिनको नहीं आबजर्व किया गया है उनको लिगलाइज करने के लिये यह बिल लाया गया है। वहां पर जो काम हुए हैं वे अनसाइन्टिफिक तरीके से किये गये हैं और उससे किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा है। ऐसी हालत में भी वहां के बेनिफिशियरीज से रुपया वसूल किया गया है। ऐसी हालत में अगर कोई इस तरह का बिल लाया जाता जिसके द्वारा वहां के बेनिफिशियरीज जिनसे इसके लिये रुपया वसूल किया गया है, यहां के मंत्रिमंडल पर मुकदमा दायर करके अपना रुपया वसूल कर सकें तो मैं उस बिल का समर्थन करता। इस बिल को सार्वजनिक इन्टरेस्ट को ध्यान में रख कर नहीं बनाया गया है बल्कि इस ख्याल से बनाया गया कि बाढ़ के समय कुछ काम वहां के लेबरर्स को कुछ रिलीफ देने के लिए अनसाइन्टिफिक तरीके से हुए और उससे किसी बेनिफिशियरी को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनसे उसका रुपया वसूल किया गया। आज वहां पर जाकर देखा जाय तो उस तरह के काम का कोई नामो निशान भी नहीं होगा क्योंकि हाल की बाढ़ में वे सब खत्म हो गये लेकिन ऐसी हालत में, और फिर बाढ़ से तबाह होने पर भी वहां के बेनिफिशियरीज से सरकार इस काम के कौस्ट के रुपये को वसूल करना चाहती है। अगर सरकार यहां पर जिनसे रुपया वसूल किया गया है उनको लौटाने के लिये कोई बिल रखती तो मेरा विश्वास है कि हाउस उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता लेकिन इस बिल को तो हमलोग किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते।

इसलिये मैं चाहता हूं कि इस स्थिति में इस बिल की कतई जरूरत नहीं है। सिंचाई विभाग में लैक ऑफ भीजन एन्ड भीगर की जो बात है उसका एक यह ज्वलन्त नमूना है। इतना ही निवेदन करके मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री महम्मद अकील—जनाब सदर, यह बिल पहली दफा जब इस हाउस में पेश किया गया था वह दिन भी हमको याद है कि इस बिल की मुखालफत मैंने की थी। अब यह बिल सेलेक्ट कमिटी से पास होकर आया है और सारी चीजें पास हो चुकी हैं।

जब यह बिल पेश किया गया था तो उस वक्त हमने जिस आरगुमेंट को आपके सामने रखा था उसको मैं दुहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन कम से कम जो मेरा फर्ज है उसको मैं अदा कर देना चाहता हूं। अब इस बिल की मंजूरी देने का वक्त आया है और इस वक्त भी मैं अपने प्रोटेस्ट को आपके सामने पेश कर देना चाहता हूं।

मैं इस बात को तसलीम करता हूं कि सन् १९५० से लेकर १९५३ तक का जमाना निहायत परेशानी का जमाना था और उस वक्त जो कार्रवाइयां हुई उनमें यह भी सही है कि आपके ऑफिसर्स ने गलती की। लेकिन हर कानून की बुनियादी जस्टिस इक्वीटी और मौरैलिटी पर होता है। इसके अलावे और भी प्रिन्सिपुल्स हैं मगर इन तीन चीज का होना निहायत जरूरी है। उस जमाने में आपने सिर्फ ड्रेनेज ऐक्ट को ही अप्लाई नहीं किया। इसके अलावे माईनर इरीगेशन ऐक्ट, मेजर इरीगेशन ऐक्ट और ग्रो-मोर-फुड कैम्पेन के तौर पर रिलीफ देने की कोशिश की। अनइम्पलायड लेबरर को काम देने की कोशिश भी की। मगर इससे एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया और उसका असर बेनीफिसियरीज और पब्लिक पर पड़ रहा था। जो कार्रवाई हो रही थी उससे लोगों को पता नहीं चलता था कि किस ऐक्ट के मातहत में काम हो रहा है।

(इस समय उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया।)

उनको कोई नोटिस भी नहीं दी गई जिससे कुछ पता चलता। आपने इस कन्फ्युजन को साफ नहीं किया। आपने अपने अफसरों को सिर्फ कहा कि यह ऐबनौरमल टाइम है जल्द से जल्द काम करना है। लेकिन आपने इस चीज को महसूस नहीं किया कि आपके ऐसे भी आफिसर्स हैं, चाहे डिप्टी मजिस्ट्रेट या कलक्टर भी हों, उनको कानून से दूर का भी वास्ता नहीं है। उन्होंने काम को जल्द कर दिया। पब्लिक में भी कन्फ्यूजन रहा। लोगों ने समझा कि आप व. वेलफेयर स्टेट है, मुसीबत आई हुई है और आप उसको दूर कर रहे हैं। लोग इस बात को भी जानते थे कि आपका काम मुकम्मल नहीं हो रहा है। आपके ठीकेदार चोट्टे हैं.........

Shri RAMCHARITRA SINGH: The hon'ble member should not use the expression "ठीकेदार चोट्टे हैं" This is undermining the dignity of the House.

उपाध्यक्ष—"चोट्टे" शब्द अनपार्लियामेंटरी है। आप इसे उठा लें।

श्री मुहम्मद अकील—आपका हुक्म है तो मैं उसे वापस ले लेता हूं लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि कानून को भी फौली नहीं करते गया और रुपये भी बरबाद हुए उस पर मेरा एतराज है। मुख्तसर में मेरे कहने का मतलब यह है कि जो रुपया आपने लगाया उसका सही फायदा नहीं उठाया गया। जिनके जरिए यह काम हुआ उनमें ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी जिन्होंने ईमानदारी और सच्चाई के साथ रुपये को काम में नहीं लाया। जितना रुपया आपने ड्रेनेज के काम में खर्च किया उसका ५० प्रतिशत का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। आप अपनी आंखें बन्द किये हुए थे और आपके हुक्काम के सामने रुपये पानी में बहाये जा रहे थे। बाज लोगों ने इन मामलात को आपके सामने भी रखा लेकिन फिर भी आपने इसकी परवाह नहीं की। इसलिये पब्लिक ने भी छोड़ दिया और बेनिफिशियरीज भी खामोश हो गये। अब बेनिफिशियरीज से रुपया लेना चाहते हैं तो आपको हक है आप ऐसा करें लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस कानून के जरिए

आपके हुक्काम से जो गलतियां सरजद हो चुकी हैं उनको जायज करार देकर अवाम के साथ नाइन्साफी कीजिए और ऐसी कार्रवाई कीजिए जिसको न्याय और पब्लिक मौरैलिटी सपोर्ट नहीं करती। इस कानून के जरिए आपको यह हक हो जाता है कि आपके हुक्काम ने जो नाजायज काम किए उसको जायज करार देकर आप बेनिफिशियरीज से रुपया वसूल कर लें। आपको ऐसा करना था तो इसमें कोई दफा रखकर कम-से-कम इतना मौका देना चाहिए था कि जिन्हें कुछ उज्र हो तो वह आपना उज्र पेश कर सकें लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए इस वक्त भी आप इतना मौका दे देते कि रुपया वसूल करने के पहले वह आपको यह बतलाते कि सही तौर पर मिट्टी नहीं पड़ी है। आपने इस तरह से लाखों रुपया खर्च भी कर दिए लेकिन वह सही मानी में खर्च नहीं हुए और आप उन्हें अब वसूल करना चाहते हैं। इसमें जरा भी मोरैलिटी, इक्विटी और जस्टिस नहीं है इसलिए मैं इसकी मुखालफत करता हूं और हाउस से अपील करता हूं कि वह इस कानून को मंजूर न करे।

श्री कपिलेश्वर शास्त्री—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं।

कारण इसका यह है कि जिस तरह से इस सम्बन्ध में काम आ है वह हुसब को अच्छी तरह मालूम है और जिस प्रकार पब्लिक मनी बरबाद हुआ वह भी सब को मालूम है। इसके अलावे अभी जो मौजूदा हालत है वह यह है कि उत्तर बिहार में जहां तथाकथित नहर, बांध वगैरह थे सब-के-सब इस बाढ़ में दह बह गए और उनका कोई नामोनिशान भी नहीं रहा। ऐसी हालत में सरकार जो यह कानून बनाने जा रही है और गरीब जनता से इसके जरिए पैसा वसूल करना चाहती है तो यह बहुत बुरी बात है और इससे सर्व साधारण जनता को सख्त तकलीफ होगी। मैं समझता हूं कि सरकार को अक्ल है या नहीं सरकार यह नहीं समझती कि जनता इस समय कराह रही है और किसी प्रकार का कहीं भी कोई बेनिफिशियरी का निशान नहीं है। अगर दूसरी बार इन्क्वायरी कराई जाय तो पता चल जायगा कि २८ लाख का जो हिसाब है उसमें अब कुछ भी शेष नहीं रह गया बल्कि सबका सब खत्म हो गया। ऐसी हालत में मैं विशेष नहीं कह कर सरकार से यह अपील करूंगा कि ऐसा कानून बना कर सरकार अपने पैर में आपही कुल्हाड़ी न मारे। जनता में काफी असंतोष फैला हुआ है और इससे और भी असंतोष फैलेगा इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं और फिर यही कहना चाहता हूं कि इस तरह का कानून पास कर सरकार अपने पैर में कुल्हाड़ी हर्गिज नहीं मारे और विवेक से काम लेवें।

श्री त्रिवेणी कुमार—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सिंचाई मंत्री से यह सूचना

चाहता हूं कि जो पुल, नहर या बांध बनाए गए थे जिनका रुपया आप वसूल करना चाहते हैं गत बाढ़ में उनमें कितने दह गए। इसका जवाब पहले मिल जाता तो डीबेट में आसानी होती।

उपाध्यक्ष—क्या माननीय मंत्री इसका फीगर दे सकते हैं कि कितने दह गए?

श्री रामचरित्र सिंह—मैं जवाब देते वक्त यह बतला दूंगा कि क्या पोजिशन है।

---

*श्री मीठन चौधरी—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत गौर से इस बिल पर जो बहस हो

रही है उसे सुना। मैं भी सेलेक्ट कमिटी का मेम्बर था। उस समय इस सम्बन्ध में

वाद-विवाद का मौका आया था। मैं पहले इस विचार का था कि जिन लोगों को इससे लाभ हुआ है उनको रुपया लगना चाहिए और जिनको लाभ नहीं हुआ है उनको यह अधिकार होना चाहिए कि वे यह कह सकें कि हमें लाभ नहीं हुआ है इसलिये हमसे रुपया वसूल नहीं होना चाहिए। लेकिन सन् १६४७ के कानून को जब मैंने देखा तो मालूम हुआ कि अभी भी जिनको लाभ हुआ है उनको यह अधिकार है कि वे उज्रदारी पेश करें कि हमको रुपया नहीं लगना चाहिए।

(इस अवसर पर अध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया।)

गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि किसी भी स्कीम में जितना खर्च पड़े उसका कुल खर्च बेनिफिशियरीज़ से वसूल करे या कुछ अंश वसूल करे या बिलकुल न वसूल करे। इसलिए जहां काम हुआ है वहां के लोगों को उज्रदारी दाखिल करने का अधिकार है और सरकार से माफ कराने का हक है। सरकार सोलह आना माफ कर दे या कुछ अंश ही माफ कर दे। अभी हमारे दोस्त ने कहा है कि ठीकेदार लोग पैसा खा गए हैं और १० लाख में तीन-चार लाख रुपया ठीकेदारों ने जो मुनाफा कर लिया है वह पैसा बेनिफिशियरीज से नहीं वसूल होना चाहिए। इस पर सरकार को विचार करने का हक है और सरकार इसमें माफी दे सकती है। ऐसी हालत में मेरा कहना यह है कि जिनके यहां काम हो रहा था उनको उज्रदारी करने का मौका था और वे यह कह सकते थे कि यहां काम नहीं होना चाहिए। सरकार उस पर विचार करती और काम नहीं करती लेकिन ऐसा नहीं किया गया और काम हो गया बल्कि वहां के लोगों के बहुत कहने सुनने के बाद काम हुआ और ऐसे समय पर हुआ जब कि मजदूरों को खिलाने-पिलाने के लिए मदद करने की आवश्यकता थी। तो अब इस बिल को कानून बना देने से किसी तरह की क्षति नहीं हो सकती है।

<u>अध्यक्ष</u>—इसका क्या जवाब आपके पास है कि जल्दीबाजी में काम खराब हो गया?

<u>श्री मीठन चौधरी</u>—सरकार को पूरा अधिकार है कि जब यह साबित कर दिया जाय कि काम खराब हुआ तो माफ कर दे।

<u>अध्यक्ष</u>—अगर सरकार कह दे कि दोनों को नफा हुआ तब?

<u>श्री मीठन चौधरी</u>—कानून के मुताबिक उन्हीं के पास नोटिस जारी होगी जिनको नफा हुआ हो। उनको अधिकार है कहने का कि हमें मुनाफा नहीं हुआ है।

<u>अध्यक्ष</u>—आप सरकार से यह आश्वासन क्यों नहीं ले लेते हैं कि ५० प्रतिशत माफ कर दिया जाय?

<u>श्री मीठन चौधरी</u>—उज्रदारी देने के बाद ६५ प्रतिशत भी माफ हो सकता है। इस अधिकार को छोड़ कर ५० प्रतिशत हम क्यों मान लें? यह जनता के हित की बात नहीं होगी। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामचरित्र सिंह—मैं नहीं समझता था कि इस बिल पर और खासकर आखरी में जब इस बिल को स्वीकार करने की बात आई तब इस पर वाद-विवाद भी होगा। मुझे यह बात मालूम थी कि शायद श्री यमुना प्रसाद साहब इस पर कुछ अपना विचार प्रगट करेंगे और मैं यह भी विश्वास करता हूं कि जो विचार वे रखते हैं वह ईमानदारी के साथ रख रहे है फर्क यह है कि इस विचार के रखने के बावजूद इस पर सूक्ष्म रीति से नहीं बोले हैं। परिणाम यह हुआ कि कानून के सेक्सनों के जंगल में ऐसे फंस गये कि उनकी समझ में नहीं आती है कि कहां तक हमने जनता के हक को बचाने के लिए इस अमेंडमेंट में कोशिश की है। हमने तो उसी वक्त समझा दिया था कि इस बिल के रिलीफ से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन समझने में लोगों को धोखा हो रहा है। लोगों ने यह कहा कि काम खराब हो गया अनसाइन्टिफिक हो गया। नया साइन्स जानने वाले कुछ लोग आ गये, लोग हंगामा मचाये हुए थे कि जल्दी से सब काम हो जाना चाहिए। जब हम यह कहते हैं कि कानून के टेकनिकैलिटीज को हम नहीं औबजर्व करेंगे तो पीछे आकर दिक्कत पैदा हो जाती है। मगर तौभी हमने सभी कामों को कर दिया। जो काम हुआ सो मिनिस्टरों के हुक्म से हुआ है। हमारे यहां ऐसे काम हैं जिनको अगर फौरन नहीं किया जाय तो फ्लड में लोग बरबाद हो जायंगे। वहां अफसरों पर भी कुछ विश्वास करना चाहिए। अगर ऐसे मौके पर हमने काम किया है तो आपसे हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन दुःख की बात है कि कुछ लोगों ने यह कहा कि काम बेकार हो गया, अवैज्ञानिक हो गया। मैंने उस वक्त भी बता दिया था और मैं नहीं समझता था कि उसको फिर दुहराना होगा। लेकिन जिस तरह से लोगों ने इस बात को रखा है उससे मालूम होता है कि उन लोगों ने इस बात को ठीक तरह से समझने की कोशिश नहीं की है। जब हमारे पास बहुत सी दरखास्त आती हैं तो उन दरखास्तों को लेकर जांच-पड़ताल होती है, बहुत से प्रोसेस से होकर गुजरती है तब उस पर फैसला सरकार का होता है कि यह काम किया जाय। इन सब कामों के बारे में दरखास्त आयी थी और बाजाप्ते जांच-पड़ताल के बाद कागज तैयार हुआ, इसी बीच में स्कैरसीटी शुरू हुई और लोगों ने हंगामा करना शुरू किया कि जल्द काम शुरू कर दीजिये। लोगों ने कहा कि अगर अभी काम शुरू नहीं करते हैं तो बहुत लोग मर जायंगे। हमलोगों के हुक्म से काम हुआ इसमें अफसरों का कोई दोष नहीं है। हमने समझा कि काम अभी शुरू कर दिया जाय जिससे मजदूरों को काम मिल जाय। इसलिए हमने काम शुरू कर दिया है। We had to start the work. We had thought that it was legal and therefore we started the work. This is the position.

श्री मुंद्रिका सिंह—रिलीफ के वास्ते काम करते।

श्री रामचरित्र सिंह—यह रिलीफ वर्क नहीं है और लेबर के वास्ते हमलोगों ने काम शुरू कर दिया है।

श्री मुंद्रिका सिंह—उसमें रिलीफ का जो काम हुआ वे लैंडलेस लेबरर का है।

श्री रामचरित्र सिंह—यह वर्क हम लेने जा रहे थे। लेकिन लोगों को दिक्कत थी इसलिये ऐक्ट के बहुत से सेक्सन औबजर्व नहीं करके हमलोगों ने काम शुरू कर दिया।

श्री त्रिवेणी कुमार—लैंडलेस को रिलीफ देने के लिये ?

श्री रामचरित्र सिंह—जो आदमी थे उनको रिलीफ देने के लिये ।

श्री कर्पूरी ठाकुर—उस समय लोगों से नहीं कहा गया ।

श्री मुंद्रिका सिंह—जो काम हुआ रिलीफ के काम में हुआ था । मेरा यह ख्याल था कि रिलीफ की बात हाउस में नहीं लाई जाय । इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि जहां कहीं भी आप कार्य करें उसमें अड़ंगा नहीं लगाया जाय । अगर किसानों को रुपया देना है तो ५ आदमियों की कमिटी बना लें तो यह काम सुचारु रूप से हो सकता है ।

श्री राम चरित्र सिंह—हमने कामों को चुना और इस काम को इसलिए किया कि लोगों को तुरत रिलीफ देना था । अगर थोड़े दिनों के बाद इस काम को शुरू करते तो मजदूरों को पैसा नहीं मिलता । मैं सेक्सन तीन और चार को पढ़कर सुना देता हूं ।

3 (2) Every petition of objection under clause (*a*) of sub-section (1) shall be accompanied by the prescribed fee, and any such petition not accompanied by the prescribedfee shall be summarily rejected.

4. After holding the enquiry referred to in sub-section(3) of section 3, the prescribed authority shall forward a report on the objections raised to the Collector and the Collector shall after considering the said report and objections, if any, forward the same together with his own recommendations to the Provincial Government.

5. (2) If the Provincial Government directs that the proposed work shall not be executed, no further action shall be taken in respect of such work.

जांच के बाद कलक्टर को यह अधिकार है कि वह रिकोमेंड करके सरकार के पास भेजे और सरकार को मौका मिलना चाहिये । हमको वक्त नहीं मिला और हमने काम शुरू कर दिया । सेक्सन ६, ७ और ८ को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ओवजेक्शन पेश करने का अधिकार लोगों को है । लेकिन फर्स्ट स्टेज में उनको यह मौका नहीं मिला अब सवाल है कि १० लाख के अन्दाज काम हुआ ।

अध्यक्ष—नाजायज वसूली कितनी हुई ?

Shri RAMCHRITRA SINGH : Perhaps, the Speaker has not read it.

श्री कर्पूरी ठाकुर—लोगों को पता भी नहीं रहे और ऊपर से लाद दिया जाय यह कैसी बात है ।

श्री राम चरित्र सिंह—अभी तक किसी से एक पैसा भी नहीं लिया गया है ।

श्री त्रिवेणी कुमार—हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला है ।

Shri RAMCHARITRA SINGH : No body can force me. It is my business.

लोगों को तुरत काम देना था इसलिये हमने काम शुरू किया ।

Shri RAMNARAIN CHOUDHARY : Sir, on a point of order I want to know whether the Hon'ble Minister is bound to answer queries put by the Speaker ?

SPEAKER : It is no point of order.

Shri RAMNARAIN CHOUDHARY : Sir, I also want to know how much illegal realisation has been made but that question has not been answered.

SPEAKER : I may request that the Hon'ble Minister should show due courtesy to hon'ble members of the House as well.

Shri RAMCHARITRA SINGH : I am always ready to show courtesy to any hon'ble member. Whenever I place my ideas before the hon'ble member the hon'ble member should hear patiently. But unfortunately the hon'ble member did not hear me when I said that not a single pie had been recovered.

अब इस बिल के ऊपर आपलोगों को सोचना होगा और खासकर उन लोगों को जो बराबर इस बात का तकाजा करते हैं कि काम जल्दी नहीं हुआ। आपलोगों साधुसंत के साथ रहते हैं, हमको बताइए कि कैसे उत्तर बिहार का पानी दक्षिण बिहार में भेज दें और आपका खेत पटे । यह तो हमलोगों के हुक्म से किया गया है । कोई अफसर ने अपने मन से नहीं किया है । खासकर जहां बाढ़ आती है उस एरिया के अफसर के लिए यह जवाबदेही रहती है कि किसी तरह मिट्टी आदि देकर या जैसे हो बांध को बाढ़ से बचाने की कोशिश करे। आपलोग हमलोगों के आर्डर को इस तरह उपहास करते हैं अगर उनके आर्डर की बात आ जाय तो आपलोग मुश्किल कर सकते हैं । इसलिए ऐसे-ऐसे मामले पर खूब सोचना चाहिए । ऐग्रिकल्चर डिपार्टमेंट जो काम करता है उसका आधा जनता से लेता है और आधा अपने खजाने से देता है । माईनर इरीगेशन की भी वही बात है । लेकिन हम जो काम करते हैं उसका सोलहो आना जनता से वसूल करते है क्योंकि इसके लिए हमको कर्ज लेना पड़ता है । हमलोग कलेक्शन करें या नहीं, कलेक्शन तो आपलोगों को ही करना है । ऐसे-ऐसे क्वेश्चन तो एक नेशनल एप्रोच से देखना चाहिए । ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पर बाल का खाल खींचना और नये-नये ज्ञान का प्रचार करना ठीक नहीं है ।

हमारे दोस्त अकिल साहब हैं और वे मोरैलिटी के बहुत बड़े हामी अपने को मानते हैं और वे गवर्नमेंट को शिक्षा देते हैं कि सरकार का यह कानून मोरैलिटी के खिलाफ है । उनको अकिल से काम लेना चाहिए था ....

श्री रामानन्द उपाध्याय—प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री रामचरित्र सिंह—ग्राप बैठ जाइये ।

श्री प्रभुनाथ सिंह——मेरा प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर इस प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर पर है ।

माननीय मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ग्राप बैठ जाइये । क्या उनका ऐसा कहना जायज है ।

श्री राम चरित्र सिंह—यह शब्द केवल उन्हीं के लिए है । ग्रापके प्रति नहीं ।

श्री रामानन्द उपाध्याय—किसी को खराब ग्रादत लगती है किसी को ग्रच्छी ग्रादत लगती है । हम जो कहना चाहते हैं उसको ग्राप सुनना नहीं चाहते हैं ग्रौर पब्लिक सुनना चाहती है ।

ग्रध्यक्ष—शांति, शांति । मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं । माननीय सदस्य ग्रगर सुनाना चाहते हैं तो वे मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं सुना सकते ।

*श्री रामानन्द उपाध्याय—मेरा प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर यह है कि मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में कोई खराब काम नहीं करना चाहती है । यह मुनासिब बात है । हम ऐसा नहीं कहते कि हमारी गवर्नमेंट बदनाम है । हमारी गवर्नमेंट सीधी-सादी चीज है ग्रौर बदनाम हमारे मिनिस्टर हैं ।

ग्रध्यक्ष—शांति, शांति । ग्राप बैठ जाइये मैं ग्रापके प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर को नामंजूर करता हूं । ग्राप बैठ जाइये । प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर के साथ दलील नहीं दी जाती है । वह सीधे तरीके से कह दिया जाता है । जब स्पीकर उसको विस्तार में जानना चाहेंगे तो वे ग्रापको दलील देने के लिये कह सकते हैं ।

श्री रामचरित्र सिंह—तो मैं ग्रकिल साहब के बारे में कह रहा था । उनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए । ग्रब ज्यादा समय नहीं है कि मैं ग्रौर कुछ कहूं ।

दूसरे शास्त्री जी हैं । उन्होंने कहा है कि यह बिल बिलकुल निकम्मा है । शास्त्री जी ऐसा ग्रगर कहते हैं तो ठीक है क्योंकि उन्होंने इस शास्त्र का ग्रध्ययन नहीं किया है । लेकिन ग्रकिल साहब ऐसी बात कहते हैं ग्राश्चर्य होता है । श्री राम नारायण चौधरी को धमरोर नहीं होना चाहिए । शास्त्री जी ग्रगर ऐसी बात कहते हैं तो मान सकते हैं क्योंकि वे बाढ़ से इतने परेशान हैं, दुखी हैं कि वे इस पर गम्भीरता से विचार नहीं कर सकते ।ऐसी दशा में यदि शास्त्री जी ने सरकार को बिल्कुल निकम्मा कह दिया तो कोई ग्राश्चर्य की बात नहीं है । वे तो ऐसी दशा में भगवान् को भी कुछ न कुछ कह दे सकते हैं ।

में केवल यही कहना चाहता हूं कि यह बिल पब्लिक इंटरेस्ट में लाया गया है और केवल कुछ फौरमैलिटिज जो पूरे नहीं किए गये थे उनको दुरुस्त करने की नीयत से लाया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोगों को अपनी उज्र दाखिल करने की पूरी आजादी मिलेगी। इन्हीं शब्दो के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पास कर दें।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है :

कि सभाद्वारा यथा-संशोधित बिहार पब्लिक इरीगेशन एंड ड्रेनेज वर्क्स (वैलिडेटिंग) बिल, १९५४ स्वीकृत हो। (विरोधी दल के कई सदस्यों ने एक बार कहा "विपक्ष में बहुमत है"।)

अध्यक्ष—इस तरह कई सदस्य मिलकर विभाजन के लिए मांग नहीं कर सकते हैं। एक सदस्य खड़े होकर कहें यदि डिविजन को चैलेंज करना चाहते हैं।

श्री राम नारायण चौधरी—भोआयस वोट से साफ पता चल गया कि विपक्ष में बहुमत है।

अध्यक्ष—मैंने आपके दावे को मान लिया, लेकिन डिविजन चैलेंज करने का यह तरीका नहीं है इसलिए मैं इस प्रस्ताव को दोबारा सभा के सामने रखता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है :

कि सभा द्वारा यथा-संशोधित बिहार पब्लिक इरीगेशन एंड ड्रेनेज वर्क्स (वैलिडेटिंग) बिल, १९५४ स्वीकृत हो।

तब सभा निम्न प्रकार विभक्त हुई—

हां—१२८

श्री रामेश्वर प्रसाद शास्त्री
श्री जगत नारायण लाल
माननीय श्री बदरी नाथ वर्मा।
श्री मुंगेरी लाल।
श्री रामखेलावन सिंह।
श्री लाल सिंह त्यागी।
श्री सैयद मुहम्मद अकील।
श्री रामलखन सिंह यादव।
श्री चेतू राम।
श्री राधाकृष्ण प्रसाद सिंह।
श्री जगलाल महतो।
श्री देवधारी चमार।
श्री सैयद मुहम्मद लतीफुर रहमान।
श्री रंगबहादुर प्रसाद।
श्री गुप्तनाथ सिंह।
श्री राम नगीना सिंह।
श्री दुलारचन्द राम।
श्री रामचन्द्र राय।
श्री राजाराम आर्य।
श्रीमती सुमित्रा देवी।
श्री अब्दुल गफूर मियां।
श्री चन्द्रिका राम।
श्री रामानन्द यादव।
श्री कृष्ण कांत सिंह।
श्री बैजनाथ सिंह।
श्री दारोगा प्रसाद राय।
श्री केदार पांडेय।
श्रीमती रामदुलारी।
श्री कुलदीप नारायण यादव।
श्री ब्रजनन्दन प्रसाद सिंह।
श्री जमुना प्रसाद त्रिपाठी।
श्री बीरचन्द पटेल।
श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह।
श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी।

श्री जनक सिंह।
माननीय श्री महेश प्रसाद सिंह।
श्री शिवनन्दन राम।
माननीय श्री दीपनारायण सिंह।
श्री यदुनन्दन सहाय।
श्री हृदयनारायण चौधरी।
श्रीमती जनक किशोरी देवी।
श्री देवनारायण यादव।
श्री योगेश्वर घोष।
श्री योगेन्द्र महतो।
श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह।
श्री कृष्णमोहन प्यारे सिंह।
श्री मीठन चौधरी।
श्री सूर्य प्रसाद सिंह।
श्री शिवव्रत नारायण सिंह।
श्री ब्रह्मदेव नारायण सिंह।
श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल।
श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह।
श्री शीतल प्रसाद भगत।
माननीय श्री भोला पासवान।
श्री मुहम्मद एहसान।
श्रीमती पार्वती देवी।
श्रीमती ज्योतिर्मयी।
श्री मुहम्मद बुर्हानुद्दीन खां।
श्री जानकी प्रसाद सिंह।
माननीय श्री कृष्ण बल्लभ सहाय।
श्री भागीरथी सिंह।
श्री पुरुषोत्तम चौहान।
श्री महावीर प्रसाद।
श्री जगदीश नारायण सिंह।
श्री गिरवरधारी सिंह।
श्री मंजूर अहमद।
श्री केशव प्रसाद।
श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह।
श्री हरिहर प्रसाद सिंह।
श्री लल्लन सिंह।
श्री हेमराज यादव।
श्री रामानन्द उपाध्याय।
श्री जनार्दन सिंह।
श्री रामबसावन राम।
श्री गदाधर प्रसाद।
श्री रामायण शुक्ल।
श्री लक्ष्मी नारायण सिंह।
श्री सुखदेव नारायण सिंह महथा।
श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
श्री राम विनोद सिंह।
श्री विश्वनाथ सिंह।
श्री रघुनी बैथा।
श्री सुदामा मिश्र।
श्रीमती पार्वती देवी।
श्री राधा पांडेय।
श्री रामसुन्दर तिवारी।
मौलवी मशूद।
श्री ब्रजबिहारी शर्मा।
श्री शिवधारी पांडेय।
महंथ श्यामनन्दन दास।
डा० हबीब।
श्री रामचन्द्र प्रसाद शाही।
श्री कपिलदेव नारायण सिंह।
श्री हरिहर शरण दत्त।
श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही।
श्री बबुआ लाल महतो।
श्री देवचन्द्र मिश्र।
श्री कपिलेश्वर शास्त्री।
श्री काशीनाथ मिश्र।
श्री भागवत प्रसाद।
श्री चन्द्रशेखर सिंह।
श्री जियालाल मंडल।
श्री मिश्री मुशहर।
श्री घनश्याम सिंह।
श्री सुख लाल महतो।
श्री लहतन चौधरी।
श्री बिन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल।
श्री जोगेश्वर हाजरा।
श्री रास बिहारी लाल।
श्री पशुपति सिंह।
श्री भोलानाथ दास।
श्री पीरू मांझी।
श्री अनाथ कान्त बसु।
श्री जिवत्स हिमांशु।
श्री वोकाई मंडल।
श्री मुहम्मद ताहीर।
श्री कमल देव नारायण सिंह।
श्री जगदीश नारायण मंडल।
श्री सदानन्द प्रसाद।
श्री अवध बिहारी दीक्षित।
श्री पुनीत राय।
श्री तपेश्वर देव।
श्री सुखलाल सिंह।
श्री राज किशोर सिंह।
कुमारी राजेश्वरी सरोज दास।
श्री राम नारायण शर्मा।
श्री टीकाराम मांझी।
श्री शिव चन्द्रिका प्रसाद।

श्री रामचरण सिंह।
श्री शिवभजन सिंह।
श्री रामचन्द्र यादव।
श्री रामेश्वर यादव।
श्री रामनरेश सिंह।
श्री मुंद्रिका सिंह।
श्री पदारथ सिंह।
श्री रामानन्द तिवारी।
श्री राधा मोहन राय।
श्री यमुना प्रसाद सिंह।
श्री रामसेवक शरण।
श्री विवेकानन्द गिरि।
श्री फुदेनी प्रसाद।
श्री कर्पूरी ठाकुर।
श्री बशिष्ठ नारायण सिंह।
श्री रामनारायण चौधरी।
श्री त्रिवेणी कुमार।
श्री रमेश झा।
श्री मोहित लाल पंडित।
श्री रामचरण किस्कू।
श्री बाबू लाल टुडू।
श्री चुनका हेम्ब्रोम।
श्री देवी सोरेन।
श्री शत्रुघ्न बेसरा।
श्री बिगन राम।
श्री रामेश्वर प्रसाद महथा।
श्री गौरी चरण सिंह।
श्री पाल दयाल।
श्री सुक्र ओरांव।
श्री जुनूस सुरीन।
श्री लुकस मुंडा।
श्री बलिआ भगत।
श्री दीनू चर्मकार।
श्री सरदार निताई सिंह।
श्री भूय अतुल चन्द्र सिंह।
श्री शुभनाथ देवगम।
श्री सुखदेव मांझी।
श्री सुरेन्द्रनाथ बिरूआ।
श्री रामेश्वर प्रसाद यादव।
श्री दामोदर झा।
श्री मदन बेसरा।
श्री विलियम हेम्ब्रोम।
श्री गोकुल मेहरा।
श्री जगन्नाथ महतो, वकील, कुर्मी।
श्री न्यारन मुंडा।
श्री हरमन लकड़ा।
श्री एस० के० बागे।
श्री अंकुरा हो।
श्री उर्जेन्द्र लाल हो।
श्री कैलास प्रसाद।
श्री घनीराम संथाल।

पटना म्युनिसिपल कारपोरेशन (सेकेन्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५४ (१९५४ की वि० सं०२०)।

THE PATNA MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 1954 (BILL NO. 20 OF 1954).

श्री भोला पासवान—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत चाहता हूं कि एजेन्डा के आइटम नं० २९ को लिया जाय और उस पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष—अच्छी बात है। इजाजत है।

श्री भोला पासवान—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पटना म्युनिसिपल कारपोरेशन (सेकेन्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५४ पर विचार हो।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

पटना म्युनिसिपल कारपोरेशन (सेकेन्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५४ पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।